नीट यू0जी0 2020 की प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में

:–महत्वपूर्ण निर्देशः–

- नीट यू0जी0 2020 की प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया दिनांक **12.11.2020, 13.11.2020 17.11.2020 एवं 18.11.2020** के मध्य राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थान/विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा नामित नोडल सेंटरों पर पूर्ण की जायेगी।
- धरोहर धनराशि (Security Money) राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु रू0 30,000/– तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों हेतु रू0 2,00,000/– तथा डेंटल कालेजों हेतु रू0 1,00,000/– बैंक ड्राफ्ट अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में नोडल सेंटर पर जमा किया जा चुका है, का समायोजन मेडिकल/डेण्टल कालेजों की फीस में नही किया जायेगा।
- जिन अभ्यर्थियों को राजकीय क्षेत्र की सीट आवंटित हुयी है वे अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल/संस्थान/विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रकिया पूर्ण करेंगे।
- **निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज में आवंटित अभ्यर्थी आवंटन पत्र पर अंकित नोडल सेंटरों पर अपनी प्रवेश प्रकिया पूर्ण करेंगे।**
- अभ्यर्थियों द्वारा नोडल सेंटर पर प्रवेश के समय मूल अभिलेख जमा करने होगें। यदि कोई अभ्यर्थी आल इण्डिया कोटे से पूर्व से प्रवेशित है, तो उस स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेशित मेडिकल/डेंटल कालेज से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी शिक्षण शुल्क की रसीद प्रस्तुत किये जाने उपरान्त ही प्रवेश अनुमन्य होगा। उक्त के साथ यह भी अवगत कराना है कि ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा रू0 10.00 के स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र दिया जाना होगा कि पूर्व में प्रवेशित संस्था से अपने मूल अभिलेख प्राप्त कर संबंधित नोडल सेंटर पर दिनांक 21.11.2020 की सायं 5:00 बजे अवश्य जमा कर देगें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की सीट रिक्त मानते हुये द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में सम्मलित कर ली जायेगी।
- **ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे निजी क्षेत्र का मेडिकल/डेंटल कालेज आवंटित हुआ है, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज का शिक्षण शुल्क (Tution Fee) जो शासन तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा निर्धारित है, का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो "महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0" (Director General Medical Education & Training , UP. Payable at Lucknow) के पक्ष में देय हो, नोडल सेंटर पर जमा करना अनिवार्य होगा।**
- आंवटित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश न लेने की दशा में उनके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यदि उक्त अभ्यर्थी द्वितीय काउंसिलिंग में पुनः प्रतिभाग करना चाहते है तो पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा कर काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग कर सकते है।
- **प्रथम कांउसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश प्रकिया पूर्ण कराने के उपरान्त ही द्वितीय कांउसिलिंग हेतु सीट अपग्रेडेशन (Upgradation /Resufling) हेतु अर्ह होगें।**
- **सिक्योरिटी फीस, हास्टल फीस, मिसलेनियस फीस द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग के उपरान्त ही प्रवेशित निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज में जमा की जायेगी।**
- **अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें एवं विस्तृत विवरण हेतु वेब–साईट https://upneet.gov.in\ & www.updgme.in पर देखी जा सकती है। अद्यतन एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनओं की जानकारी हेतु समय–समय पर उक्त वेब–साईट का अवलोकन करते रहे।**

महानिदेशक